



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण 1939 (श0)
(सं0 पटना 1133) पटना, वृहस्पतिवार, 7 दिसम्बर 2017

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 नवम्बर 2017

सं० वि०स०वि०-32/2017-9250/वि०स०।—“बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राम श्रेष्ठ राय,
सचिव।

[वि०स०वि०-27, 2017]

बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017

श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु कृषि बाजार प्रांगण, पटना सिटी के भूमि अंतरण करने के लिए प्रावधान करने हेतु विधेयक ।

प्रस्तावना।— चूँकि, सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयन्ती समारोह और राज्य के लिए विशेष गौरवशाली ऐतिहासिक अवसर पर उनकी ज्वलंत जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान का निर्माण करना आवश्यक एवं समीचीन है; और,

चूँकि, बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु कृषि विभाग की कतिपय भूमि को चिन्हित किया गया है जिसे पर्यटन विभाग को अंतरित करना भी आवश्यक है;

इसलिए अब भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।— (1) यह अधिनियम बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार श्री गुरु गोविन्द सिंह बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान हेतु भूमि अंतरण तक ही सीमित होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2 परिभाषाएँ।— इस अधिनियम में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो-

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अधिनियम, 2017;

(ii) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची;

(iii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(iv) "कृषि विभाग" से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग;

(v) "पर्यटन विभाग" से अभिप्रेत है बिहार सरकार का पर्यटन विभाग;

(vi) "बाजार प्रांगण" से अभिप्रेत है बिहार राज्य कृषि विभाग के अधीन बाजार प्रांगण ।

3 बाजार प्रांगण की भूमि का अंतरण।— राज्य सरकार बिहार कृषि उपज बाजार प्रांगण, पटना सिटी की भूमि, जो बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 द्वारा राज्य सरकार में निहित हो चुकी है और जो इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित है, श्री गुरु गोविन्द सिंह की जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को स्थायी रूप से अंतरित कर सकेगी ।

4 निरसन एवं व्यावृत्ति।— (1) बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अध्यादेश, 2017 (बिहार अध्यादेश संख्या-2, 2017) एतद्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या कि गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

अनुसूची

पर्यटन विभाग को राज्य सरकार द्वारा अंतरित की जाने वाली बाजार प्रांगण, कृषि विभाग की भूमि का विवरण:-
मौजा-शिमली मुरारपुर, थाना संख्या-38, में अवस्थित बाजार समिति पटना सिटी के अर्जित भू-खण्ड में 10 (दस) एकड़ भू-खण्ड ।

प्रस्तावित जमीन कि विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	खाता सं०	खेसरा सं०	खतियानी रकवा	प्रस्तावित रकवा
01	471	1396	0.30 डी०	0.28.88 डी०
		1449	0.17 डी०	0.15.75 डी०
02	612	1390	0.72 डी०	0.71.25 डी०
		1391	0.14 डी०	0.13.77 डी०
		1393	0.03 डी०	0.02.75 डी०
		1394	0.20 डी०	0.18.25 डी०
03	614	1392	0.10 डी०	0.11.24 डी०

क्रमांक	खाता सं०	खेसरा सं०	खतियानी रकवा	प्रस्तावित रकवा
		1395	0.21 डी०	0.22.44 डी०
04	718	1397	0.33 डी०	0.33.44 डी०
		1398	0.26 डी०	0.24.52 डी०
		1399	0.24 डी०	0.24.00 डी०
		1400	0.24 डी०	0.19.51 डी०
		1453	0.64 डी०	0.60.43 डी०
		1454	0.29 डी०	0.28.40 डी०
05	769	1456	0.15 डी०	0.10.15 डी०
06	773	1457	0.02 डी०	0.02.00 डी०
		1455	1.49 डी०	1.14.15 डी०
07	829	1451	0.22 डी०	0.27.54 डी०
08	833	1444	0.22 डी०	0.15.37 डी०
09	840	1450	2.06 डी०	2.02.50 डी०
10	842	1443	0.14 डी०	0.14.72 डी०
11	843	1448	0.34 डी०	0.31.33 डी०
12	844	1447	0.57 डी०	0.59.70 डी०
13	967	1401	0.67 डी०	0.56.59 डी०
14	524	1452	0.71 डी०	0.63.59 डी०
15	841	1442	0.13 डी०	0.06.77 डी०
16	853	1446	0.27 डी०	0.19.85 डी०
17	838	1445	0.5 डी०	0.01.00 डी०
			कुल-11.36एकड़	10.00.02 एकड़

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के गौरवशाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भव्यता को प्रख्यापित करने के लिए श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु कृषि बाजार प्रांगण, पटना सिटी में 10.00.02 एकड़ भूमि अंतरण पर्यटन विभाग को करने के लिए प्रावधान करने हेतु बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है।

(डा० प्रेम कुमार)
भार-साधक सदस्य ।

पटना
दिनांक-28.11.2017

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1133-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>